मानक शर्ते

उ0 प्र0 शासन/ वन विभाग द्वारा मानक शर्त तथा उसके मान्य होने का प्रमाण–पत्र आदेसनादेश संख्याः– 7314/14.3.980/82, दिनांकः– 31.12.1984

1. भूमि स्थानान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिर्वतन नहीं होगा तथा यह पूर्व की भॅाति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बना रहेगा।

2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही।

3. याचक विभाग प्रस्तावित अथवा किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग,संस्था विशेष को स्थानान्तरित नहीं करें।

4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मॉगी भूमि न्यनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहॅूचाएंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान विभाग को करना होगा।

6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी के देखरेख में करायेगा तथा इसके सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।

7. हस्तान्तरित वन भूमि वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नही होगी।

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छदित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण तथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वन जन्तुओं के स्वछन्द विवरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी। – लागू नहीं है।

9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। – लागू नहीं है।

10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य परियोजना हेतु करने अथवा विभाग/संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस को जायेगी। वन भूमि तथा संयुक्त स्थन निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा इस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रसतावों पर अलाइनमेन्ट तय होते समय स्थानीय स्थन पर वन विभाग को परामर्श लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन लो0नि0वि0 द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय क्षेत्र) पौड़ी को सम्बोधित पत्र सं0 698 सी0 दि0 10.02.1982 में लिखित आदेशों का पालन लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा। कि अपना मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूली फेरबदल कराना आदि विभाग के खर्चे से प्रस्तावित होगा और नहई सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।– लागू नहीं है।

12. वन भूमि का मूलय सम्बोधित जिलाधिकारी प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के आधार पर आंकलित किया जायेगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर खड़े व वृक्षो का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ0प्र0 वन विभाग द्वारा अथवा अन्य उपयुक्त प्रक्रिया से जो वन विभाग उचित समझे यदि किसी कारण से वृक्षो का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो जो विभाग द्वारा वृक्षो का बाजार भाव मूल्य देय होगा। – लागू नहीं है।

14. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षो का प्रतिकर याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ो का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा का भुगतान को करना होगा। 1000 मी0 से व 20 डिग्री से अधिक ढाल वन खड़े वृक्षो का पालन निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षोंक के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।– लागू नहीं है।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन से जाने में तथा सम्भव पेड़ो का कटान नही किया जायेगा। या खम्भो कों ऊँचा करके इसे सुनिश्चिम किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो को कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवयश्क है। – लागू नहीं है।

16. यदि नहर आदि का निर्माण में भूसंरण की सम्भावना होती है और नहर की नहर की दोनो पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा। – लागू नहीं है।

17. उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें दर्शायी जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जायेगा जब उक्त शर्तों का पूरी तरह पालन कर दिया जाये अथवा सुमचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त शर्ते हमें मान्य है।